

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

१[नियम 142क : विद्यमान विधियों के अधीन शोध्य के वसूली की प्रक्रिया

- (1) किन्हीं विद्यमान विधियों के अधीन जारी आदेश का सार जो कर की मांग, ब्याज, शास्ति, फीस या कोई अन्य शोध्य सृजित करे जो नियत दिन के पूर्व या पश्चात विद्यमान विधि के अधीन आसंभ की गई कार्यवाहियों के परिणामस्वरूप वसूलनीय हो जाती हैं जब तक कि उस विधि के अधीन नहीं वसूली गई हो, अधिनियम के अधीन वसूल की जाएगी और अधिनियम के अधीन वसूली के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्ररूप जीएसटी डीआरसी-०७क में, सामान्य पोर्टल पर अपलोड किया जा सकेगा और आदेश की मांग की इलेक्ट्रॉनिक दायित्व रजिस्टर के भाग २ में अंकित किया जाएगा।
-
- (2) जहां उप-नियम (1) के अधीन अपलोड किए गए किसी आदेश की मांग को अपील, पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण सहित किन्हीं कार्यवाहियों में परिशोधित, उपांतरित या अभिसंडित किया जाता है तो उसका सार, प्ररूप जीएसटी डीआरसी-८क में सामान्य पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक दायित्व रजिस्टर के भाग २ को तदनुसार अद्यतन किया जाएगा।]

¹ अधिसूचना क्रमांक ६०/२०१८-केन्द्रीय कर, दिनांक ३०.१०.२०१८ द्वारा नियम १४२क अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक ३०.१०.२०१८)।